

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 148] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 23, 1972/आषाढ़ 2, 1894
No. 148] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 23, 1972/ASADHA 2, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

PUBLIC NOTICES

New Delhi, the 23rd June 1972

No. DRAWBACK/PN-60/72.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/70-DBK published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1, dated the 15th October, 1971.

For Sub-Serial No. 4606 and the entries relating thereto, the following shall be substituted:—

Sub-Sr. No.	Description of goods	Rate of drawback
4606	PILC CABLES:—	
(1)	with copper conductors.	30.4 % (Thirty point four percent) of the export FOB value.
(2)	with aluminium conductors.	27 % (Twenty seven percent) of the export FOB value.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

सार्वजनिक सूचनाएं

नई दिल्ली, 23 जून, 1972

सं० प्रतिअदायगी/पी० एन० 60/72.—सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादशुल्क प्रतिअदायगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/फा० सं० 602/2/70-प्र० अ०) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिअदायगी/पी० एन० 1, दिनांक 15 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है:—

उपक्रम सं० 4606 तथा उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के लिये निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायगा:—

उपक्रम सं०	माल का विवरण	प्रतिअदायगी की दर
4606	पी०आई०एल०सी०केवल:—	
	(1) ताम्र संवाहकों सहित जहाज तक निःशुल्क निर्यात मूल्य का 30.4 प्रतिशत (तीस दशमलव चार प्रतिशत)	
	(2) एयूमिनियम संवाहकों सहित जहाज तक निःशुल्क निर्यात मूल्य का 27 प्रतिशत (सत्ताईस प्रतिशत) ।	

No. DRAWBACK/PN—61/72.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/71-DBK published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following further amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1, dated the 15th October, 1971, with immediate effect:—

The existing entries against Sub-Serial No. 1802-1804 shall be omitted.

M. PANCHAPPA,
Director (Drawback).

सं० प्रतिअदायगी/पी० एन०-61/72.—सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क प्रतिअदायगी नियमावली' 1971 (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52 फा० सं० 602/2/70-प्र० अ०) के नियम 4 के अधीन केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिअदायगी/पी० एन० 1, दिनांक 15 अक्टूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :-

उपक्रम सं० 1802-1804 के सामने की वर्तमान प्रविष्टियों को हटा दिया जायगा।

एम० पंचप्पा,
निदेशक (प्रतिअदायगी) ■

